न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2025/225

01 गुरजन्टसिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 केएलडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर ......प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :—03.02.26**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 3 केएलडी के खाता सं0 6 मु0नं0 236/18 के किला नं0 13/2 में 0.1265 है0, 14 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है0, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0, 23/2 में 0.2276 है0, 24/2 में 0.2276 है0, 25/2 में 0.2276 है0 तादादी 3.0348 हैक्टर कमाण्ड व मु0नं0 236/26 के किला नं0 13/2 में 0.1265 है0, 14 ता 19 सालम, 20/2 में 0.2276 है0, 21/1 में 0.2276 है0, 22 ता 25 सालम तादादी 3.1107 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल तादादी 6.1455 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि की हल्का पटवारी द्वारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 बनाते समय लिपिकीय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम गुरदयालसिंह की जगह गुरदयाल दर्ज कर दिया गया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। उक्त रकबा पर प्रार्थी का कब्जा लगातार आजदिन तक निर्बाध रूप से चला आ रहा है। इसप्रकार उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी अपने पिता का नाम गुरदयालसिंह दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी के उपरोक्त रकबा चक 3 केएलडी खाता सं0 6 मु0नं0 236/18 के किला नं0 13/2 में 0.1265 है0, 14 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है0, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0, 23/2 में 0.2276 है0, 24/2 में 0.2276 है0, 25/2 में 0.2276 है0 तादादी 3.0348 हैक्टर कमाण्ड व मु0नं0 236/26 के किला नं0 13/2 में 0.1265 है0, 14 ता 19 सालम, 20/2 में 0.2276 है0, 21/1 में 0.2276 है0, 22 ता 25 सालम तादादी 3.1107 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल तादादी 6.1455 हैक्टर कमाण्ड के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गुरदयाल की जगह गुरदयालसिंह दर्ज करवाना चाहता हूँ। अतः प्रार्थी के नाम का रकबा चक 3 केएलडी के खाता सं0 6 मु0नं0 236/18 व मु0नं0 236/26 की 6.1455 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम गुरदयाल की जगह गुरदयाल सिंह अंकन करने के आदेश का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचानपत्र, पैनकार्ड, इंतकाल प्रतिलिपि आदि की प्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत इंतकाल में प्रार्थी के पिता का नाम गुरदयाल सिंह अंकित है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 3 केएलडी के खाता सं0 6 मु0नं0 236/18 के किला नं0 13/2 में 0.1265 है0, 14 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है0, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0, 23/2 में 0.2276 है0, 24/2 में 0. 2276 है0, 25/2 में 0.2276 है0 तादादी 3.0348 हैक्टर कमाण्ड व मु0नं0 236/26 के किला नं0 13/2 में 0.1265 है0, 14 ता 19 सालम, 20/2 में 0.2276 है0, 21/1 में 0.2276 है0, 22 ता 25 सालम तादादी 3.1107 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल तादादी 6.1455 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गुरदयाल की जगह गुरदयाल सिंह संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के पिता का नाम गुरदयाल नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का गुरदयाल नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी के पिता का नाम गुरदयाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं की जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)